भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 213

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सीवेज उपचार, औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन और बाढ़ के संरक्षण में अंतराल

213. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

श्री मनीष जायसवालः

श्री जगदम्बिका पालः

श्री राहुल सिंह लोधीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीवेज उपचार, औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन और बाढ़ के मैदान संरक्षण में मौजूदा अंतराल को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) प्रदूषित नदी खंडों को कम करने या अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त और लचीला नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के लिए नियमित निगरानी और अंतर-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली अपनायी गयी है;

(घ) जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ अभिसरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्तर प्रदेश, विशेषकर सिद्धार्थनगर जिले में क्या प्रगति हुई है; और

(च) नए फ्रेमवर्क के तहत प्रस्तावित अभिसरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): नदियों की सफाई और पुनरूद्धार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों, अन्य जल निकायों,

तटीय जल या भूमि में छोड़े जाने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का उचित उपचार सुनिश्चित करें।

सीवेज उपचार में निहित कमियों को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगा की केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदी बेसिनों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज अवसंरचना का निर्माण किया जाता है।

औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत की जाती है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों को सीवेज तथा अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने एवं निर्धारित निर्वहन मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उद्योगों को तकनीकी उन्नयन, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने और जहां भी संभव हो, शून्य तरल निर्वहन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सीपीसीबी के अनुसार, कुल 4498 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई) हैं जिनमें से 3637 उद्योग प्रचालन में हैं और 861 उद्योग स्वयं बंद हो चुके हैं। कार्यरत उद्योगों में से 3036 उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन कर रहे हैं जबकि 571 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 29 गैर-अनुपालन करने वाले उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं और एक इकाई को निर्देश जारी किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करने और संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण पर तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के समन्वय से शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं विकसित की हैं जो नदी के संवेदनशील नियोजन को वैधानिक मास्टर प्लान में एकीकृत करती हैं।

(ख): सीसीपीबी, देश की नदियों के प्रदूषण आकलन के आधार पर समय-समय पर राज्य-वार और नदी-वार रूप से प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान करता है। इन क्षेत्रों को प्रदूषण की गंभीरता (बायो-

केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के मूल्यों के संदर्भ में) के आधार पर घटते क्रम में प्राथमिकता I से V के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2018, 2022 और 2025 में, सीपीसीबी ने जल गुणवत्ता बहाली के लिए प्रदूषित नदी खण्डों पर रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित सीपीसीबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 'जल गुणवत्ता बहाली के लिए प्रदूषित नदी क्षेत्र' से पता चलता है कि प्रदूषित नदी खण्डों (पीआरएस) की कुल संख्या वर्ष 2018 में 351 से घटकर वर्ष 2025 में 296 हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 149 पीआरएस को सूची से हटा दिया गया है और 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 71 पीआरएस में वर्ष 2018 और वर्ष 2025 के बीच

नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्ष 2018 और वर्ष 2025 की रिपोर्टों में जिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में सुधार देखा गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

एनएमसीजी ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा विकसित की है जो राज्यों को उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग पर राज्य नीतियां विकसित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों से जल पुन: उपयोग के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण मिलते हैं।

(ग): सीपीसीबी अपने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करता है। सीपीसीबी ने सभी जीपीआई को निर्देश जारी किए हैं कि वे स्व-निगरानी के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी से रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करें। यह तंत्र पूरे देश में लागू है। सरकार अपने कानूनी और नियामक ढांचे, बेसिन-वार दृष्टिकोण, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों और उनके वित्तपोषण आदि के माध्यम से अंतर-राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करती है।

प्रदूषण मुक्त और रेज़िल्यन्ट नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के लिए, राज्यों में नदी संरक्षण समितियां गठित की गई हैं। इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर), सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) की बैठकों के

माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी और समीक्षा करता है। अब तक 20 सीएमसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(घ) से (च): जल संरक्षण सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं/अभियानों का एक मुख्य घटक है, जिनमें मुख्य रूप से विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) {पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम से जाना जाता था}, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) आदि शामिल हैं, इन योजनाओं को जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत, सरकार ने अति दोहित और गंभीर ग्रामीण क्षेत्रों (डार्क जोन) में जल संरक्षण, जल संचयन और संबंधित कार्यों के लिए आवंटित निधि का न्यूनतम 65% अनिवार्य किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, दिनांक 02.03.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं, वाटरशेड विकास और गहन वनीकरण सहित कुल 7,153 कार्य पूरे किए गए।

वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण विकास योजना और सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के व्यवस्थित समन्वय को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य खंडित नियोजन को एक एकीकृत मॉडल में बदलना है। इसका लक्ष्य संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचना और रोजगार सृजन को व्यापक अवसंरचना लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।
